न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी - श्रीमती शंकुतला आर.ए.एस.

अनवान -

01- रामस्वरूप पुत्र श्री चन्दूराम जाति जाट निवासी कूपली तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।

--वादी--

बनाम-

01- रतनाराम पुत्र श्री बेगाराम जाति जाट निवासी कूंपली तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)

02- पृथ्वीराज पुत्र श्री बेगाराम जाति जाट निवासी कूंपली तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)

03- औम प्रकाश पुत्र श्री बेगाराम जाति जाट निवासी कूंपली. तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)

04- सतपाल पुत्र श्री बेगाराम जाति जाट निवासी कूंपली तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)

05- चुन्नी देवी पत्नी श्री सहीराम जाति जाट निवासी कूंपली तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)

06- मोहन लाल पुत्र श्री सहीराम जाति जाट निवासी कूंपली तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)

07- सोहन लाल पुत्र श्री सहीराम जाति जाट निवासी कूंपली तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)

08- कालूराम पुत्र श्री सहीराम जाति जाट निवासी कूंपली तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)

09- उमाराम पुत्र श्री रामरख जाति जाट निवासी कूंपली तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)

10- सीताराम पुत्र श्री रामरख जाति जाट निवासी कूंपली तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)

11- हंसराज पुत्र श्री रामरख जाति जाट निवासी कूंपली तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)

12- रामनारायण पुत्र श्री रामरख जाति जाट निवासी कूंपली तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)

13- लिच्छुराम पुत्र श्री रामरख जाति जाट निवासी कूंपली तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)

14- गोपीराम पुत्र श्री रामरख जाति जाट निवासी कूंपली तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)

15- स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर।

--प्रतिवादीगण--

उपस्थिति :- 01- श्री ओम धायल वकील

02- [illegible] (राजस्व) श्रीविजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.03.27 10:31:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

Scanned with CamScanner

(वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53-88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम)
प्रकरण संख्या -04/2020

निर्णय दिनांक- 7/1/25

प्रकरण में तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :-

यह कि वादी एवं प्रतिवादीगण का स्थाई पता वही है जो वाद-पत्र के शीर्षक में अंकित है। वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम से संयुक्त खाता में भूमि वाके चक 14 ए.एस.(बी) का प.नं. 221/473 मु.नं. 9 किला नं. 2, 3, 8, 9, 12, 13=1.518 है. कमाण्ड मय खाला, प.नं. 220/474 मु.नं. 13 किला नं. 1, 2, 5 से 15, 17 से 20, 22/2, 22/2=4.706 है. कमाण्ड मय खाला, प.नं. 219/474 मु.नं. 14 किला नं. 10/2, 11/2=0.455 है. कमाण्ड, प.नं. 218/474 मु.नं. 68 किला नं. 6, 7, 14 से 16, 24/2, 25/2=1.972 है. अनकमाण्ड, प.नं. 217/484 मु.नं. 69 किला नं. 1 से 20, 21/2, 22/2, 23/2, 24/2, 25/2=6.199 है. अनकमाण्ड व प.नं. 217/485 मु.नं. 70 किला नं. 2 से 5 1.012 है. अनकमाण्ड कुल 15.862 है. कमाण्ड/अनकमाण्ड मय खाला खातेदारी रकबा दर्ज राजस्व रिकार्ड है, जिसमे वादी के नाम से 1.763 है. कमाण्ड/अनकमाण्ड मय खाला खातेदारी रकबा संयुक्त खाता में दर्ज है। जिसका वादी ही मालिक वा काबिज है। रकबा संयुक्त खाता में दर्ज होने के कारण से वादी खातेदार टेनेन्ट की हैसियत से विधिक विभाजन करवाने का वाद लाने का विधिक अधिकारी है। प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है।

यह कि यहा यह बताना उचित समझते है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य उपरोक्त भूमि का घरेलु बंटवारा भी अर्सा पूर्व किया हुआ है। बंटवारा के समय वादी की बहिनो ने उक्त भूमि में अपना हक व हिस्सा प्राप्त नहीं करने की इच्छा जाहिर करते हुए अपने हक व हिस्सा को वादी के पक्ष में हकत्याग कर दिया। इस प्रकार वादी को उक्त रकबा में 1.763 है. कमाण्ड /अनकमाण्ड खातेदारी रकबा प्राप्त हुआ जो वादी के नाम से जमाबन्दी में दर्ज है। बाहमी वंटवारा के अनुसार वादी को उक्त भूमि चक 14 ए.एस. (बी) का प.नं. 220/474 मु.नं. 13 में किला नं. 19 में 12 बिस्वा (किला नं. 22 से चिपता), 20 में 12 बिस्वा (किला नं. 21 से चिपता), 21 में 18 3 बीघा एवं प.नं. 217/484 मु.नं. 69 में किला नं. 6 बिस्वा, 22 में 18 बिस्वा में 1 बीघा, 19 में 1 बीघा, 20 में 11 बिस्वा (किला नं. 19 के साथ चिपता), 21 में 10 बिस्वा (किला नं. 22 के साथ चिपता), 22 में 18 बिस्वा 3 बीघा 19 बिस्वा कुल 6 बीघा 19 बिस्वा यानि 1.758 है. कमाण्ड/अनकमाण्ड खातेदारी रकबा प्राप्त हुआ। बाहमी बंटवारा में प्राप्त इस भूमि को वादी ने अपना मानते हुए इस पर काबिज होकर काश्त करना प्रारम्भ कर दिया एवं उक्त भूमि में अपना अथाह परिश्रम व धन खर्च कर इसे संवारा सुधारा एवं षि योग्य बनाया है। वादी द्वारा किये गये सुधारों की बदौलत भूमि की किस्म में सुधार हो गया है व बाजार कीमतों में आशातीत वृद्धि हो गई है। यह कि वादी का विवादित भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 14 के साथ संयुक्त खाता में 1.763 है. भूमि वादी अकेले की है जो कि संयुक्त खाता में दर्ज होने के कारण से उपरोक्त भूमि को काश्त करने, राजस्व अदा करने, नहरी [illegible] आदि अदा करने व भूमि सुधार हेतु ऋण आदि प्राप्त करने तथा सुविधाए [illegible] में अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है जिस कारण [illegible] आधारों पर प्रतिवादीगण को विवादित भूमि का किलावाइज व विशिष्ट [illegible] अनुसार विधिक विभाजन करते हुए पृथक-पृथक दर्ज करवाने बाबत प्रतिवादी [illegible]ख्या 15 के समक्ष कार्यवाही एवं औपचारिकताएं पूर्ण करने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 14 इस बाबत

उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.03.27 10:31:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

आज कल आज कल करके आश्वासन देते रहे व कहते रहे कि हम भूमि की काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए और रास्ता आदि सुविधाओ को ध्यान में रखते हुए बंटवारा कर लेगे। आप किसी प्रकार की चिन्ता न करे। वादी सद्भाविक रूप से प्रतिवादीगण पर विश्वास करता। जब कभी गांव में राजस्व कैम्प आदि लगेगा व प्रतिवादी संख्या 15 गांव में कैम्प में आएगे तो हम सभी एकत्र होकर अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी भूमि का बंटवारा कर किला वाईज दर्ज करवा लेगे। जिस पर वादी सद्भावी विश्वास करता रहा किन्तु काफी अर्सा व्यतीत हो जाने के बाद भी इस बावत कोई कार्यवाही नहीं किये जाने पर वादी दिनांक 05/03/2020 को प्रतिवादीगण से मिला और सम्पर्क किया व विधिक विभाजन करवाकर पृथक-पृथक रकबा दर्ज करवाने एवं सभी के संयुक्त उपयोग उपभोग एवं सुविधानुसार दर्ज करवाने बावत कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 ने वादी का किसी प्रकार सहयोग करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया व ऐलानिया कहा कि वे विवादित भूमि को बिना विधिक विभाजन करवाये बिना ही अन्य किसी को रहन, विक्रय या अन्य प्रकार से अन्तरित व खुर्द बुर्द करके क्षतिग्रस्त या नष्ट करेगे और अन्य के नाम से विक्रय करके अन्य के नाम से करवा देंगे। और अच्छी भूमि पर काबिज हो जावेगे और वादी को उक्त सुविधाओं से महरूम कर देगे एवं वादी के कब्जा काश्त की भूमि से जबरन विधि विरूद्ध तरीके से बेदखल कर देगे। वादी को वादी की भूमि में सिंचाई नहीं करने देगे। इसके निर्बाध उपयोग उपभोग में अनके प्रकार की बाधा पहुचाकर वादी को इसका निर्बाध उपयोग उपभोग नहीं करने देगे एवं विवादित भूमि के किसी विशिष्ट भाग पर नया निर्माण आदि कर काविज हो जायेगे। बस यही तारीख विनाए मुखास्मत वाद कारण है।

यह कि यदि प्रतिवादीगण अपने विधि विरूद्ध कृत्यों में कामयाब हो जाते है तो वादी को अपने हक व हिस्सा की भूमि से बेदखल होना पडेगा और वादी के विधिक अधिकारों का हनन होगा एवं वादी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा एवं भारी असुविधा होगी व अपनी खातेदारी भूमि में से सुविधा व किस्म अनुसार भूमि प्राप्त करने से महरूम हो जावेगा जिसका आंकलन मुद्राओं में नहीं किया जा सकेगा। यदि उक्त भूमि को हस्तान्तरण कर दिया जाता है तो तृतीय पक्षकार के हित सृजित हो जायेगे जिससे वादी को काश्त आदि करने में भारी असुविधा होगी। इसलिए वादी प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है कि वह विवादित भूमि में स्थापित सुविधाओं के निरन्तर निर्वाध उपयोग उपभोग में दखल अन्दाजी करने व उक्त वर्णित भूमि को रहन, बैय, विक्रय करने से एवं सुविधाओं में परिवर्तन करने व अपने अकेले के नाम से से सुविधा प्राप्त करने से बाज व ममनू रहे। अन्य तथ्य वरवक्त बहस अर्ज किये जायेगे। राजस्थान सरकार भू धारक होने से आवश्यक पक्षकार है इसलिए प्रतिवादी संख्या 15 के रूप में पक्षकार बनाया गया है। वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का हैं एवं पूर्ण कोर्ट पर तहरीर होकर अन्दरमियाद पेश है।

अतः वाद वादी निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे कि-

(क) यह कि कृषि भूमि वाके चक 14 ए.एस.(बी) का प.नं. 220/474 मु.नं. 13 में [illegible] बिस्वा (किला नं. 22 से चिपता), 20 में 12 बिस्वा में किला नं. 19 [illegible] 22 में 18 बिस्वा = 3 बीघा एवं (किला नं. 21 से चिपता), 21 में 1[illegible] बीघा 19 में 1 बीघा, 20 में प.नं. 217/484 मु.नं. 69 में किला नं. [illegible] में 10 बिस्वा (किला नं. 22 के 11 बिस्वा (किला नं. 19 के साथ चिपता [illegible] साथ चिपता), 22 में 18 बिस्वा 3 बीघा 19 बिस्वा कुल 6 बीघा 19 बिस्वा यानि 1.758 है. कमाण्ड/ अनकमाण्ड खातेदारी रकबा कब्जा काश्त अनुसार विधिक विभाजन करते हुए भूमि पृथक-पृथक किला वाईज दर्ज करने के आदेश पारित किये जावे।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.03.27 10:31:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

(ख) कि स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आश्य की पारित की जावे कि प्रतिवादीगण विवादित भूमि को बिना विधिक विभाजन करवाये व पृथक-पृथक किलावाईज व विशिष्ट भाग अनुसार दर्ज करवाये बिना अन्य किसी को रहन, विक्रय या अन्य प्रकार से अन्तरित करने, कोई नया निर्माण आदि करने व परिवर्तन करने एवं चल रही किसी भी सुविधा को बन्द करने या बाधित किसी भी प्रकार से करने स्वयं अपने हित प्रतिनिधि या अन्य व्यक्ति के माध्यम से ऐसा कोई कार्य जिससे वादी को अपनी भूमि काश्त करने में किसी प्रकार परेशानी हो करने से बाज व ममनू रहे।

(ग) कि यह अन्य अनुतोष जो वादी के हक में हो चाहने से रह गये हो को भी वादी के पक्ष में सादिर फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया जाकर सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 ने अपना जवाब प्रस्तुत नहीं किया। वादी ने जरिये अधिवक्ता अपना शपथ पत्र प्रस्तुत कर वाद पत्र में चाहे गये अनुतोष के मुताबिक वाद पत्र डिक्री कर खाता विभाजन करने को निवेदन किया।

पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन व मनन किया गया तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रतिवादीगण को बार-बार अवसर देने के उपरान्त भी प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 ने अपना जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इसलिए वादी द्वारा चाहे गये अनुतोष अनुसार भूमि का विभाजन किया जाना न्यायोचित पाता हूँ।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है एवं कृषि भूमि वाके चक 14 ए.एस.(बी) का प.नं. 220/474 मु.नं. 13 में किला नं. 19 में 12 बिस्वा (किला नं. 22 से चिपता), 20 में 12 बिस्वा (किला नं. 21 से चिपता), 21 में 18 बिस्वा, 22 में 18 बिस्वा = 3 बीघा एवं प.नं. 217/484 मु.नं. 69 में किला नं. 6 में 1 बीघा, 19 में 1 बीघा, 20 में 11 बिस्वा (किला नं. 19 के साथ चिपता), 21 में 10 बिस्वा (किला नं. 22 के साथ चिपता), 22 में 18 बिस्वा 3 बीघा 19 बिस्वा कुल 6 बीघा 19 बिस्वा यानि 1.758 है. कमाण्ड/ अनकमाण्ड खातेदारी रकबा का खातेदार टेनेन्ट घोषित किया जाता है एवं तहसीलदार राजस्व श्री विजयनगर को आदेश दिया जाता है कि पक्षकारान के हिस्सा अनुसार उनके विभाजन प्रस्ताव न्यायालय में पेश करे तद्अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 7/1/25 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.03.27 10:31:17 IST
Reason: SelfAttested

शंकुतला
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

उपखण्ड अधिकारी विजयनगर

Scanned with CamScanner